ग्राम पंचायत खैरियां, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 01-04-2013 से 31-03-2016

<u>भाग-एक</u>

1 **{क} प्रस्तावना:-** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत ,ग्राम पंचायत, खैरियां विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीम साली राम	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति विमला देवी	23-01-16 से अद्यतन

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रणजीत सिंह	30-08-2008 से अद्यतन

{ ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1 .	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करने के कारण अन्तर	0.97
2.	7	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि	0.38
3.	8	प्राप्त अनुदान राशियों से अधिक व्यय	0.39
4.	8.1	अनुदान राशियों का अवरोधन	9.23
5.	9	औपचरिकता के बिना खरीद करना	1.49
6.	10	निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण न करना	1.98

भाग – दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत खैरियां विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमा न लेखों का अंकेक्षण /जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 05-12-2016 से 23-12-2016 तक के दौरान पंचायत कार्यालय खैरियां में किया गया। आय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 02 /14,01/15 व 08/15 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 06/13, 03/15 व 10/15 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण /गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क**:-

ग्राम पंचायत खैरियां , विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹4000/-बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या :274 दिनांक 23 -12-16 द्वारा पंचायत सचिव , खैरियां से अनुरोध किया गया ।

4 **वित्तीय स्थिति**:-

ग्राम पंचायत खैरियां द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

{1} **स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत खैरियां के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण:-**

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	63869	24422	88291	21726	66565
2014-15	66565	34042	100607	28489	72118
2015-16	72118	55237	127355	46978	80377

{2} **अनुदान:-** ग्राम पंचायत खैरियां के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	179577	2904176	3083753	2950773	132980
2014-15	132980	2077618	2210598	1826469	384129
2015-16	384129	3952159	4336288	3444816	891472

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	KCCB Nurpur	50051953020	7096
2.	KCCB Nurpur	50051953075	25906
3.	KCCB Nurpur	50051952980	796937
4.	KCCB Nurpur	20003062181	44851
		CASH IN HAND	155
		TOTAL	**874945**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

(क)दिनांक 31-3-16 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 874945

(ख)दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):- ₹ 971849

अन्तर :- ₹ 96904

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करने के कारण ₹0.97 लाख का अन्तर

ग्राम पंचायत की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-16 को पैरा 4.1 के अनुसार रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्त शेष में ₹96904 का अन्तर था। अत: ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 नियमों के विरुद्ध चार बैंक बचत खातों का खोला जाना :-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमे से खाता "क" में पंचायत के स्वः संसाधनो से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है । परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4 के अनुसार चार बैंक बचत खाते खोले गए है । अत: नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए अतिरिक्त दो खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये ।

5.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract)को तैयार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार कर एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी तथा प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय

व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है । इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है । इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 **निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना:-**

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जबकि सचिव द्वारा केवल एक हजार तक की राशि हस्तगत रखी जा सकती है, जोकि {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 **पंचायत राजस्व ₹ 0.38 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-**

पंचायत की स्व -स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-16 तक पंचायत के राजस्व ₹37502 की वसूली शेष थी ।

ग्रहकर:-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्रप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	11995	19700	31695	----	31695
2014-15	31695	19700	51395	----	51395
2015-16	51395	19775	71170	33668	37502

अतः पंचायत राजस्व की वसूली न करने के कारणो को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाये।

8 प्राप्त अनुदानों से ₹0.39 लाख अधिक व्यय करना:-

सचिव, ग्राम पंचायत खैरिया द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 को अनुदान जिला परिषद के शीर्ष के अन्तर्गत ₹38781, इन अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से **₹.39 लाख** अधिक व्यय किए गए जो की अनियमित व गम्भीर मामला है । इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए ।

8.1 अनुदान ₹8.91 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹891472 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वांछित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :271 दिनांक 23-12-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खैरियां को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए ।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.49 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹148704 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 272 दिनांक 23-12-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खैरियां को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत खैरियां द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया , जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 **क्रय की गई ₹ 1.98 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण, भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 व 72 (1) (ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-4** पर ₹ 198100 की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर मामला है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :272 दिनांक 23-12-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खैरियां को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत खैरियां द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अपेक्षित था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या:- 273 दिनांक 23-12-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खैरियां को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत खैरियां द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
4.	डाक टिकट रजिस्टर
5.	रोकड़ बही व बैंक पास बुक मिलान सारणी
6.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
7.	रसीद बुक रजिस्टर

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

13 **विविध अनियमितताएं :-** ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम

93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही ।

14 **लघु-आपति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है ।

15 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवयश्कता है ।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 80/2017–2068–2071 दिनॉकः 06.04.2017
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत खैरियां, विकास खण्ड नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु ध्प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881